प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला उपसंचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त संयुक्त/उपसंचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– 2099/सं-415/2012-13 दिनांक – 09-04-13

विषयः–अन्तर्वर्ती आज्ञा के विरुद्ध योजित निगरानी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 48 के पठन से स्पष्ट है कि अन्तर्वर्ती आज्ञाओं के विरुद्ध योजित निगरानी पोषणीय नहीं है। अधिनियम की उक्त स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद यह संज्ञान में आया है कि अन्तर्वर्ती आज्ञाओं के विरुद्ध निगरानियाँ सुनी जा रही हैं तथा स्थगन आदेश भी पारित किये जा रहे हैं ,जो उचित नहीं हैं। मा0 उच्च न्यायालय में भी ऐसे मामलों में समय-समय पर संज्ञान लिया गया है और नियमों की परिधि में ही कार्य किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके बावजूद यह देखने में आ रहा है कि उक्त अन्तर्वर्ती आदेशों के विरुद्ध योजित निगरानी में अवर न्यायालय की पत्रावली भी तलब कर ली जाती है जिससे अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित वाद की कार्यवाही बाधित हो जाती है तथा उनके अन्तिम निस्तारण में अप्रत्याशित विलम्ब होता है। वादों के निस्तारण में विलम्ब होने से चकबन्दी प्रक्रिया तो विलम्बित होती ही है, शीघ्र न्याय प्रदान करने का उद्देश्य भी विफल होता है तथा वादकारियों का न्याय प्रशासन से विश्वास भी उठता है एवं उन्हें अनावश्यक परेशान होना पड़ता है। यह भी संज्ञान में आया है कि चकबन्दी न्यायालयों में अन्तर्वर्ती आदेशों के विरुद्ध अनावश्यक रूप से दायर किये गये वादों की संख्या अत्यधिक है । प्रायः यह भी देखा गया है कि अन्तर्वर्ती आदेशों के विरुद्ध योजित निगरानी में दायरा के समय पोषणीयता के बिन्दु पर सुनवाई नहीं की जाती है। उक्त स्थिति के निवारणार्थ यह आवश्यक है कि अन्तर्वर्ती आदेशों के विरुद्ध योजितनिगरानियों को सर्वप्रथम पोषणीयता के बिन्दु पर सुन लिया जाए। यदि निगरानी अन्तर्वर्ती आज्ञा के विरुद्ध हो तो यथासम्भव प्रथम सुनवाई में समुचित सुनवाई करते हुए उसका मुखरित आदेश(speaking order) पारित करके नियमानुसार निस्तारण कर दिया जाये। पोषणीय होने की दशा में ही अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाये।

अतः अनुरोध है कि उक्त विधि व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।